(वाद सं0–653/4/8/2020)

20.07.2021

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना की ओर से उप निदेशक, कल्याण, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर, श्री गिरिश चन्द्र पाण्डेय उपस्थित है।

श्री गिरिश चन्द्र पाण्डेय को सुना।

प्रसंगाधीन मामला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन राजकीय अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालय, सुगांव, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा परिवादी, श्यामाकान्त गिरि का दिनांक–**02.05.2015 से 20.05.2016** तक के दैनिक पारिश्रमिक का भुगतान न किए जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी के माध्यम से प्राप्त जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के प्रतिवेदन व सरकार के संयुक्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना के प्रतिवेदन से **प्रसंगाधीन मामले में यह एक स्वीकृत तथ्य है कि परिवादी गिरि ने** पूर्व परम्परा के अनुसार अपने वरीय पदाधिकारी के आदेश पर, राजकीय अम्बेदकर आवसीय उच्च विद्यालय, सुगांव, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी में दैनिक पारिश्रमिक पर कार्य किया था, लेकिन बाद में बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति से जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा परिवादी को नियोजित किए जाने के आधार पर उसके नियोजन को सरकारी प्रवधानों के प्रतिकूल पाया गया। इस आधार पर उसके नियोजन को दिनांक–20.05.2016 के प्रभाव से निरस्त कर दिया गया।

संयुक्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना के प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि पूर्व मे भी परिवादी का नियोजन जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के द्वारा अप्रैल–2010 से सितम्बर 2011 व नम्बर 2011 से फरवरी 2014 तक (कुल 860 दिनों) के लिये किया गया था तथा संबंधित विभाग के निर्देश पर उसे 200 रूपये प्रतिदिन की दर से एक लाख बहत्तर

हजार रूपये का दैनिक पारिश्रमिक का भुगतान जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा ही किया गया था।

राज्य आयोग परिवादी के नियोजन की वैद्यता के संबंध में कोई मन्तव्य देना उचित नहीं समझता है। **लेकिन, चूंकि संबंधित प्राधिकार द्वारा परिवादी से 02 मई 2015 से 20 मई 2016 तक दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर शिक्षण का कार्य लिया गया है तो परिवादी को उक्त किये गये कार्य की अवधि का दैनिक पारिश्रमिक पाने का मानवाधिकार है तथा उस अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जा सकता है।**

राज्य आयोग प्रसंगाधीन मामले में यह अनुशंसा करती है कि **विभागीय सचिव परिवादी को दिनांक–02.05.2015 से दिनांक–20.05.2016 तक के अवधि में संबंधित प्राधिकार द्वारा लिये गये शिक्षण कार्य के लिए दो सौ रूपये प्रति कार्य दिवस की दर से आदेश पारित होने के आठ सप्ताह के अन्दर दैनिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना सुनिश्चत करें।**

उक्त आदेश आज राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित श्री गिरिश चन्द्र पाण्डेय उप निदेशक, कल्याण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर की उपस्थिति में पारित किया गया है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के प्रतिवेदन की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना को प्रेषित करते हुए दिनांक–24.11.2021 के पूर्व तक अनुपालन प्रतिवेदन की मांग करते हुए उसकी प्रति सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को भेजते हुए परिवादी को भी तद्नुसार उपलब्ध करा दिया जाय।

जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी व परिवादी को भेजे जाने वाले पत्र के साथ संयुक्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के प्रतिवेदन की प्रति (अनुलग्नकों सहित) भी संलग्न की जाय।

संचिका दिनांक–29.11.2021 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक